i l ukV

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को पुनर्गठित कर पाँच कम्पनियों (बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी एवं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमीशन कम्पनी) का सृजन 01.11.2012 के प्रभाव से किया गया है। यह कदम विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुधार हेतु लिया गया है। विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानानुसार बिहार विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना वर्ष 2006 में की गई। तत्पश्चात् आयोग द्वारा ही प्रत्येक वर्ष विभिन्न कोटि के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिक्री दर (टैरिफ) निर्धारित की जाती है।

वितरण कम्पनियों के द्वारा अनुमानित वार्षिक व्यय के आधार पर आयोग के समक्ष याचिका दायर की जाती है। जिसमें वितरण कम्पनियों को प्राप्त अनुदान की राशि को घटाने के पश्चात शेष राशि के आधार पर जाँचोपरान्त टैरिफ निर्धारित किया जाता है। इस प्रक्रिया में, गहन समीक्षोपरान्त, यह पाया गया कि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति पर वास्तावित लागत की जानकारी का सर्वथा अभाव बना रहता था तथा राज्य सरकार से दी जा रही अनुदान की भी जानकारी नहीं रहती थी। अतः एक सोची समझी रणनीति के तहत वर्ष 2017–18 में टैरिफ याचिका को शून्य अनुदान पर दायर किया गया। इस नीतिगत निर्णय के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ लागत के आधार पर अनुदान रहित निर्गत किया गया है। इस टैरिफ आदेश से राज्य सरकार द्वारा उपभोक्तावार अनुदान की राशि तय करने में पारदर्शिता रहेगी। साथ ही वितरण कम्पनियों को Aggregate Technical & Commercial Loss (AT&C Loss) में क्रमिक कमी लाने हेतु गहन अनुश्रवण संभव हो सकेगा। इस प्रक्रिया से उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत

आपूर्ति लागत एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुदान की राशि विद्युत विपत्र में अंकित रहेगी जो पूरी तरह से पारदर्शी होगा।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ आदेश का गहन अध्ययन एवं पड़ोसी राज्यों, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश के 2016–17 के टैरिफ से तुलना कर राज्य सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं के लिए दी जाने वाली अनुदान की राशि पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। जिसके अनुसार उपभोक्ता श्रेणीवार प्रति यूनिट अनुदान की राशि निम्न प्रकार है :–

miHkkDrk J.kh	vk;kx }kjk fu/kkfjr VfjQ ¼fQDlM ,o buthl pktl lfgr½ :i;s ifr ;fuV ¼2017&18½	ifr ;fuV vunku ¼:0 esa½ ¼2017&18½	vunku d i'pkr vkSl r VfjQ :i;s ifr ;fuV ¼2017&18½	if'pe cxky vkSl r VfjQ ¼2016&17½	mUkj in'k vkSl r VfjQ ¼2016&17½
कुटीर ज्योति	6.08	3.58	**2.50**	**3.44**	**3.17**
घरेलु– I (ग्रामीण)	6.45	3.10	**3.35**	**4.75**	**3.35**
घरेलु– II (शहरी)	6.48	1.48	**5.00**	**5.02**	**5.28**
गैर घरेलु– I (ग्रामीण)	6.83	2.50	**4.33**	**6.86**	**4.43**
गैर घरेलु– II (शहरी)	8.02	0.40	**7.62**		**8.24**
कृषि एवं सिंचाई – I	5.79	4.29	**1.50**	**4.07**	**1.50**
निम्न विभव औद्योगिक सेवा–I (Contract Demand Upto 19 KW)	8.59	0.25	**8.34**	**8.39**	**7.86**
निम्न विभव औद्योगिक सेवा–II (Contract Demand above 19 KW upto 74 KW)	8.62	0.28	**8.34**		
उच्च विभव औद्योगिक सेवा–I (11 KV)	8.69	0.20	**8.49**	**10.15**	**7.48**
उच्च विभव औद्योगिक सेवा–II (33 KV)	8.69	0.35	**8.34**	**9.15**	
उच्च विभव औद्योगिक सेवा–III (132 KV)	8.02	0.40	**7.62**	**8.45**	
उच्च विभव औद्योगिक सेवा–IV (220 KV)	7.97	0.50	**7.47**	**NA**	
उच्च विभव विशेष सेवा (33/11 KV)	5.56	0.30	**5.26**	**NA**	

ukV % fcgkj jkT; d VfjQ o"k 2017&18 d fy, ,o vU; jkT;ksa dk VfjQ o"k 2016&17 ij vk/kkfjr gA

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को *dy 2]952 djksM :i;s* की राशि अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। विदित हो इस मद में वर्ष 2016–17 में *2]704 djksM :i;s* की राशि अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराया गया था, अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष में *248 djksM :i;s* की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। ज्ञात हो कि वर्ष 2016–17 के लिए विद्युत उपलब्धता लगभग 24905 मिलियन यूनिट है जबकि वर्ष 2017–18 में विद्युत उपलब्धता का लक्ष्य 30740 मिलियन यूनिट निर्धारित किया गया है जो पिछले वर्ष से 23 प्रतिशत अधिक है।

****